# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | द्वारका बनाम श्रवणी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |
| 16/02/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/06/2024 पारित करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति कारित नही होना धारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।<br><br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से जिन आराजीयात के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था, वह अपीलार्थी/प्रार्थी की एकल खाते की आराजीयात है एवं चूँकि अपीलार्थी प्रशनगत आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसेमें अपीलार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण जाहिर होता है। जहाँ तक सुविधा के सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु का प्रश्न है तो यदि अपीलार्थी की खाते की आराजी में रेस्पोडेन्ट्स हस्तक्षेप अथवा बाधा कारित करते है तो अपीलार्थी/प्रार्थी को ही अपूर्तनीय क्षति कारित होना सम्भव है एवं ऐसेमें सुविधा का सन्तुलन भी अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है।<br><br>अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/06/2024 निरस्त किया जाकर ताफैसला वाद ग्राम हाबूकाबॉस पटवार हल्का भुतैडा, तहसील चौमू जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 119, 241/117, 243/117, 261/183, 264/116, 265/116, 268/182, 269/184, 275/118 कुल किता 9 कुल रकबा<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

**द्वारका बनाम श्रवणी**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1.5429 हैक्टेयर की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निस्तारित करते हुये अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |